रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-02072020-220330 CG-DL-E-02072020-220330

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1926] No. 1926] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 2, 2020/आषाढ़ 11, 1942 NEW DELHI, THURSDAY, JULY 2, 2020/ASHADHA 11, 1942

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 1 जुलाई 2020

का.आ. 2180(अ).— केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11), की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा ऐनिलीन (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त आदेश में, पैराग्राफ 1 में, उप-पैराग्राफ (2) के लिए निम्नलिखित उप-पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"(2) यह आदेश 3 नवंबर, 2020 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. 13012/9/2018- रसा. II]

समीर कुमार बिस्वास, संयुक्त सचिव

नोट: ऐनिलीन के लिए मुख्य आदेश को 15 जनवरी, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 203 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था।

2946 GI/2020 (1)

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

ORDER

New Delhi, the 1st July, 2020

S.O. 2180(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with sub-section (3) of section 25, of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government hereby makes the following amendment in the Aniline (Quality Control) Order, 2020, namely:-

In the said order, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted namely:-

"(2) This order shall come into force on the 3rd day of November, 2020."

[F. No. 13012/9/2018- Chem. II)

SAMIR KUMAR BISWAS, Jt. Secv.

Note: The principal order for Aniline was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) vide notification number S.O. 203 (E), dated the 15th January, 2020.